

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

जनपद-लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, बस्ती, बाँदा (चित्रकूट धाम), आगरा, गोरखपुर, बरेली, फैजाबाद, झाँसी, मिर्जापुर, गोण्डा, अलीगढ़, मुरादाबाद एवं आजमगढ़।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./2017-18/ 13450-17

दिनांक 30/03/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम में बी0सी0टी0वी0 पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से नव नियुक्त/कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2017-18 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या B.30.12.1, B.30.12.2, B.30.12.4, B.30.12.5 तथा एफ0एम0आर0 मद संख्या B.30.10.1, B.30.10.4 & B.30.10.5 पर बी0सी0टी0वी0 के मानव संसाधन हेतु कुल रू0 2718.63 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के अन्तर्गत एन0एच0एम0 के अन्तर्गत बी0सी0टी0वी0 पर नव नियुक्त संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन (पी0आर0ओ0, एल0टी0एवं एल0ए0) के 2.5 माह (15 जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) के मानदेय हेतु रू0 17.01 लाख के धनराशि को निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 27.03.2018 को इनवाइस संख्या Through Debit Noti द्वारा अवमुक्त की चुकी है -

S.N.	Name of District	BCTV HR Salary for 2 & half Month			
		PRO @ Rs. 20000 under FMR B.30.10.5	LT @ Rs. 13500 under FMR B.30.10.4	LA @ Rs 8000 under FMR B.30.10.5	Total District Allocation
1	Lucknow	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
2	Azamgarh	50000.00	0.00	20000.00	70000.00
3	Jhansi	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
4	Muradabad	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
5	Aligarh	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
6	Basti	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
7	Gorakhpur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
8	Kanpur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
9	Mirzapur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
10	Saharanpur	50000.00	0.00	20000.00	70000.00
11	Bareilly	50000.00	67500.00	0.00	117500.00
12	Faizabad	0.00	33750.00	20000.00	53750.00
13	Agra	50000.00	0.00	0.00	50000.00
14	Banda	50000.00	0.00	0.00	50000.00
15	Gonda	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
16	Allahabad	50000.00	0.00	0.00	50000.00
17	Varanasi	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
	Total	800000.00	641250.00	260000.00	1701250.00

FMR Code no. B.30.12.1, B.30.12.2, B.30.12.4, B.30.12.5, B.30.10.5 - Man Power Support at 18 BCTV के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बी0सी0टी0वी0 हेतु चयनित मानव संसाधन का मानदेय नियुक्ति तिथि से देय होगा। अग्रिम आवंटन हेतु निर्गत धनराशि के व्यय की सूचना कार्यरत पदों के सापेक्ष पदवार/नामवार/रक्तकोषवार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर बी0सी0टी0वी0 हेतु नव नियुक्त मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि निर्गत की जा रही है। जनपद मेरठ से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण मेरठ को उक्त मद में धनराशि निर्गत नहीं की जा रही है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरठ जनपद की स्वयं होगी।

धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

1. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
9. संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कर्मचारी का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, उपचार, स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उपरोक्त सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रभारी,उपरोक्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय राजकीय ब्लड बैंक,उ०प्र०।
9. महाप्रबन्धक,एम०आई०एस०,एस०पी०एम०यू०,एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त उपरोक्त सम्बन्धित जनपदीय जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

जनपद—लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, बस्ती, बाँदा (चित्रकूट धाम), आगरा, गोरखपुर, बरेली, फैजाबाद, झाँसी, मिर्जापुर, गोण्डा, अलीगढ़, मुरादाबाद एवं आजमगढ़।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./2017-18/

दिनांक

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम में बी0सी0टी0वी0 पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से नव नियुक्त/कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2017-18 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या B.30.12.1, B.30.12.2, B.30.12.4, B.30.12.5 तथा एफ0एम0आर0 मद संख्या B.30.10.1, B.30.10.4 & B.30.10.5 पर बी0सी0टी0वी0 के मानव संसाधन हेतु कुल रू0 2718.63 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के अन्तर्गत एन0एच0एम0 के अन्तर्गत बी0सी0टी0वी0 पर नव नियुक्त संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन (पी0आर0ओ0, एल0टी0 एवं एल0ए0) के 2.5 माह (15 जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) के मानदेय हेतु रू0 17.01 लाख के धनराशि को निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 23.3.18 को इनवाइस संख्या / through Debit Note द्वारा अवमुक्त की चुकी है -

S.N.	Name of District	BCTV HR Salary for 2 & half Month			
		PRO @ Rs. 20000 under FMR B.30.10.5	LT @ Rs. 13500 under FMR B.30.10.4	LA @ Rs 8000 under FMR B.30.10.5	Total District Allocation
1	Lucknow	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
2	Azamgarh	50000.00	0.00	20000.00	70000.00
3	Jhansi	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
4	Muradabad	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
5	Aligarh	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
6	Basti	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
7	Gorakhpur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
8	Kanpur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
9	Mirzapur	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
10	Saharanpur	50000.00	0.00	20000.00	70000.00
11	Bareilly	50000.00	67500.00	0.00	117500.00
12	Faizabad	0.00	33750.00	20000.00	53750.00
13	Agra	50000.00	0.00	0.00	50000.00
14	Banda	50000.00	0.00	0.00	50000.00
15	Gonda	50000.00	67500.00	20000.00	137500.00
16	Allahabad	50000.00	0.00	0.00	50000.00
17	Varanasi	50000.00	33750.00	20000.00	103750.00
	Total	800000.00	641250.00	260000.00	1701250.00

FMR Code no. B.30.12.1, B.30.12.2, B.30.12.4, B.30.12.5, B.30.10.5 - Man Power Support at 18

BCTV के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बी0सी0टी0वी0 हेतु चयनित मानव संसाधन का मानदेय नियुक्ति तिथि से देय होगा। अग्रिम आवंटन हेतु निर्गत धनराशि के व्यय की सूचना कार्यरत पदों के सापेक्ष पदवार/नामवार/रक्तकोषवार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर बी0सी0टी0वी0 हेतु नव नियुक्त मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि निर्गत की जा रही है। जनपद मेरठ से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण मेरठ को उक्त मद में धनराशि निर्गत नहीं की जा रही है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरठ जनपद की स्वयं होगी।

धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

1. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
4. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
9. संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कर्मचारी का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

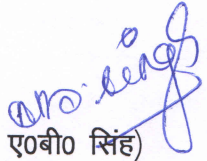
भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./2017-18/13450-17(10) तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, उपचार, स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उपरोक्त सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रभारी,उपरोक्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय राजकीय ब्लड बैंक,उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त उपरोक्त सम्बन्धित जनपदीय जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।


(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल